FTS-55/2013

राज... प्रयोजनार्थ

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23/2013
प्रविष्टि दिनांक 30.01.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

रतनलाल पुत्र बालू जाति गुर्जर नि. पीनणी लक्ष्मीपुरा तह. मालपुरा

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री. मजहर आलम एड0
2. अप्रार्थी अनु.।

<u>अभिशंषा</u> **दिनांक 27—9—2022**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 417 रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम पीनणी लक्ष्मीपुरा तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 0.06 बीघा हाल खसरा नं. 417/2 अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 06.11.1977 के द्वारा श्री रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी को जरिये नामान्तकरण सं. 280 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 480 दिनांक 30.05.1993 से प्रदान किये गये। उक्त आवटित भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 280, 480 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी दिनांक 06.09.2019 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु इसके बाद न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि खसरा नम्बर 417 रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम पीनणी लक्ष्मीपुरा तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 0.06 बीघा हाल खसरा नं. 417/2 अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 06.11.1977 के द्वारा श्री रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी को जरिये नामान्तकरण सं. 280 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 480 दिनांक 30.05.1993 से हुई। जबकि

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर
टोंक (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

राजकीय प्रयोजनार्थ

उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 30.05.1993 एवं भरे गये, गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 280 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 480 दिनांक 30.05.1993 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2065–68, नकल नामान्तकरण सं. 280, 480 व खतौनी बन्दोबस्त 2010 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 417 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 06.11.1977 को खसरा नम्बर 417 में से 6 बीघा भूमि हाल खसरा नम्बर 417/2 श्री रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी को नामा0 सं0 280 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 480 दि0 30.05.1993 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 417 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। श्री रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवंटित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 06.11.1977 को भूमि रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को दिनांक 06.11.1977 को खसरा नम्बर 417 रकबा 0.06 बीघा भूमि का आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री रतना पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 280 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 480 दिनांक 30.05.1993 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 417 रकबा 0.06 बीघा भूमि वाके ग्राम पीनणी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा जिला–टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से
रीडर
न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक